5-3-21 प्रार्थी/ा के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थियों के अधिवक्ता ने प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को वापस ले लिया है। अतः प्रार्थियों का प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा नस्ती में स्थायित किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होम नम्बर 2 से मय हुए प्रोसीडिंग ऑफिस प्रविष्ट लेखा मय सार हो मुलवाद में मिलान हो।	Not Press 2 [illegible] 5/3/2021 (R.P. [illegible])

खण्ड अधिकारी
[illegible] (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 11:24:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner